न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2, उत्तर कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	-	**शर्मा निर्मल जगमोहन, आर.जे.एस.**
एफ.आई.आर. संख्या	-	**195/2026**
पुलिस थाना	-	**विज्ञान नगर कोटा शहर**
अन्तर्गत धारा	-	**3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट**
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	-	**1905/2026**

विजय कुमार गुर्जर उर्फ देवा गुर्जर पुत्र श्री लटूरलाल, उम्र-30 साल, निवासी-गांधीनगर बस्ती झाड़ूबस्ती, मैन रोड, थाना विज्ञान नगर कोटा शहर (राज.)

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य **....अप्रार्थी**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस.

उपस्थितः-

1- वर्षा पारीक (LADC Kota), विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2-सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

- आदेश - **दिनांकः 18-07-2026**

1- प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिए अधिवक्ता जमानत का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस.एस. पेश हुआ, जिसकी नकल विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलवाई गई। केस डायरी तलब कर अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 03-07-2026 को गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त दिनांक 04-07-2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

2- बहस उभय पक्षकारान की गई। दौराने बहस प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किए कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है एवं उसे झूठा एवं महज रंजिशवश फंसाया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त की अनुसंधान अधिकारी को कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में रिकवरी हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त कोटा जिले का स्थायी निवासी है, जिसके फरार होने व गवाहो को टेम्परविद करने का कोई अंदेशा नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमानत का लाभ दिया जाए।

3- इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त तर्कों का खण्डन कर विरोध करते अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध कर कथन किया कि अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में गंभीर प्रकृति के प्रकरण दर्ज है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

Authenticated Document

4- उभयपक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5- प्रकरण के तथ्यानुसार परिवादी साजिद हुसैन, स.उ.नि. ने एक फर्द चैकिंग एवं जब्ती पुलिस थाना विज्ञान नगर के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की वह जाप्ता श्री रोहित कुमार कानि. 2111 व श्री ललित किशोर कानि. 1704 मय प्राईवेट वाहन मय अनुसंधान बोक्स के मय लैपटाप मय प्रिन्टर वास्ते चैकिंग गुण्डा बदमाशान अवैध कार्य की रोकथाम हेतु इलाका गश्त हेतु थाने से समय 12.16 पीएम पर रवाना होकर ऑयल चौराहा, झालावाड़ रोड़ हवाई अड्डे के सामने से अपना घर आश्रम के पास पहुंचाँ, जहाँ पर जयें मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसने हल्के हरे कलर की टी शर्ट व सलेटी कलर का पाईजामा पहन रखा है जो काली माताजी के मन्दिर के पास बैठा है। उक्त सूचना से जाप्ता हमराही को अवगत करवाकर रवाना होकर सांकेतिक स्थान पर पहुंचा, जहाँ मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये का व्यक्ति बैठा नजर आया, जो पुलिस जाप्ता को बावर्दी अपनी तरफ आता देखकर तेज तेज कदमों से जाने लगा, जिसे जाप्ता हमराही की मदद से घेरा देकर पकडा व नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम शेजाद हुसैन होना बताया, जिसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से स्वतन्त्र गवाह की तलबी हेतु श्री ललित किशोर कानि. 1704 को मौखिक आदेश देकर रवाना किया जिसने करीब 10 मिनट बाद वापस आकर बताया कि कानूनी पेचीदगियों व आपसी रंजिश की वजह से कोई व्यक्ति गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, इस पर हमराही जाप्ता मे से श्री ललित किशोर कानि. 1704 व श्री रोहित कुमार कानि. 2111 को गवाह मामूर कर रोके गये व्यक्ति शेजाद हुसैन की तलाशी ली गई तो उसके पहने हुये पाईजामे की दाहीनी जेब मे एक पोलीथीन की थैली में एक जिन्दा कारतूस KF 7.65 का मिला जिससे उक्त कारतूस अपने कब्जे मे रखने बाबत अनुज्ञापत्र/लाईसेंस चाहा गया तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र/लाईसेंस नहीं होना बताया। इस प्रकार डिटैन किये गये व्यक्ति शेजाद हुसैन का बिना अनुज्ञापत्र जिन्दा कारतूस KF 7.65 को अपने कब्जे में लेकर घूमना धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध होने से कारतूस को बतौर वजह सबूत मे जप्त कर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर स्वयं की शील से शील्ड मोहर कर मार्क ए दिया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा शेजाद हुसैन को बाद आगाह जुर्म उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाते हुये नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा, इत्यादि। उक्त फर्द जब्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 195/2026 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध की गई तथा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त विजय कुमार गुर्जर उर्फ देवा गुर्जर के विरूद्ध धारा 3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट का आरोप प्रमाणित माना जाना केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है।

6- अनुसंधान पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त विजय कुमार गुर्जर उर्फ देवा गुर्जर का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार हैंः-

Authenticated Document

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	अन्तर्गत धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नंबर	विवरण
1	182/2007	379 भा.द.सं.	विज्ञान नगर कोटा	140/2007	पैंडिंग कोर्ट
2	406/2008	143, 452, 323 भा.द.सं.	विज्ञान नगर कोटा	319/2008	पैंडिंग कोर्ट
3	361/2009	457, 380 भा.द.सं.	विज्ञान नगर कोटा	268/2009	पैंडिंग कोर्ट
4	37/2010	8/27 एनडीपीएस एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	30/2010	न्याया. जेएम 2 उत्तर द्वारा दिनांक 23-10-2013 को धारा 4 पीओ का लाभ देकर 5000 रूपये का ज.मु. व 500 रूपये अभियोजन खर्च जमा
5	177/10	8/27 एनडीपीएस एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	124/2010	न्याया. जेएम 2 उत्तर द्वारा दिनांक 10-09-10 को 2 माह का कारावास व 200 रूपये जुर्माना
6	54/2011	4/25 आर्म्स एक्ट	जवाहर नगर कोटा	20/2011	पैंडिंग कोर्ट
7	604/2011	457, 380 भा.द.सं.	विज्ञान नगर कोटा	442/2011	पैंडिंग कोर्ट
8	51/2012	4/25 आर्म्स एक्ट	जवाहर नगर कोटा	22/2012	पैंडिंग कोर्ट
9	336/2012	8/27 एनडीपीएस एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	271/2012	न्याया. जेएम 2 उत्तर द्वारा 20 दिन की सजा व 100 रूपये जुर्माना
10	439/2012	8/27 एनडीपीएस एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	313/2012	न्याया. जेएम 2 उत्तर द्वारा 20 दिन की सजा व 100 रूपये जुर्माना
11	201/2013	379 भा.द.सं.	विज्ञान नगर कोटा	168/2013	न्याया. जेएम 2 उत्तर द्वारा राजीनामा बरी
12	49/2014	4/25 आर्म्स एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	32/2014	पैंडिंग कोर्ट
13	121/2014	16/54 एक्साईज एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	122/2014	पैंडिंग कोर्ट
14	641/2014	456, 380 भा.द.सं.	महावीर नगर कोटा	439/2014	पैंडिंग कोर्ट
15	125/2016	4/25 आर्म्स एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	65/2016	न्याया. जेएम 2 उत्तर द्वारा दिनांक 12-04-19 को दोषमुक्त

Authenticated Document

16	476/2016	4/25 आर्म्स एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	345/2016	न्याया. जेएम 2 उत्तर द्वारा दिनांक 01-11-2018 को 3 माह 8 दिन का करावास
17	63/2017	379 भा.द.सं.	नयापुरा कोटा	238/2020	पैंडिंग कोर्ट
18	108/2017	19/54 एक्साईज एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	77/2017	पैंडिंग कोर्ट
19	01/2018	4/25 आर्म्स एक्ट	महावीर नगर कोटा	01/2018	न्याया. एसीजेएम 6 द्वारा धारा 4 पीओ का लाभ व 500 रूपये अभियोजन व्यय
20	192/2018	4/25 आर्म्स एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	141/2018	पैंडिंग कोर्ट
21	38/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	20/19	पैंडिंग कोर्ट
22	112/2019	143, 341, 332, 353, 504 भा.द.सं. व 42 कारावास राज.	नयापुरा कोटा	83/2019	पैंडिंग कोर्ट
23	393/2019	4/25 आर्म्स एक्ट	जवाहर नगर कोटा	285/2019	पैंडिंग कोर्ट
24	397/2020	379, 34 भा.द.सं.	गुमानपुरा कोटा	258/2019	पैंडिंग कोर्ट
25	418/2020	380 भा.द.सं.	गुमानपुरा कोटा	261/2020	पैंडिंग कोर्ट
26	138/2020	379 भा.द.सं.	कैथूनीपोल कोटा	96/2020	न्याया. जेएम 3 साउथ द्वारा 1 वर्ष का कारावास 4000 रूपये जुर्माना
27	275/2020	379 भा.द.सं.	दादाबाड़ी कोटा	162/2020	न्याया. एसीजेएम 2 द्वारा दिनांक 11-12-21 को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त
28	419/2020	379, 34 भा.द.सं.	गुमानपुरा कोटा	233/2020	न्याया. एसीजेम 5 द्वारा दिनांक 15-12-21 को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त
29	246/2020	379 भा.द.सं.	विज्ञान नगर कोटा	172/2020	पैंडिंग कोर्ट
30	211/2020	379, 34 भा.द.सं.	नयापुरा कोटा	169/2020	पैंडिंग कोर्ट
31	259/2023	4/25 आर्म्स एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	142/2023	पैंडिंग कोर्ट
32	97/2026	19/54 एक्साईज एक्ट	विज्ञान नगर कोटा	63/2026	पैंडिंग कोर्ट

Authenticated Document

7- केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के अधीन गंभीर प्रकृति का दण्डनीय अपराध आरोपित है एवं धारा 5/25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण माननीय सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक अभिलेख के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व में भी कई गंभीर प्रकृति के अपराधों में संलिप्त रहा है। चूंकि वर्तमान में उक्त आशय के अपराधों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, ऐसे में अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने से समाज पर कुप्रभाव पड़ने की पूर्ण आशंका है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितयों, समाज में बढ़ते अपराधों व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए इस प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को इस स्तर पर जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित एवं युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है।

8- फलतः प्रार्थी/अभियुक्त **विजय कुमार गुर्जर उर्फ देवा** ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निशुल्क प्रदान की जावे।

(शर्मा निर्मल जगमोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 2 उत्तर, कोटा

9- आदेश आज दिनांक 18-07-2026 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(शर्मा निर्मल जगमोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम 2 उत्तर, कोटा

SHYAM SUNDER
Digitally signed by SHYAM SUNDER
Date: 2026.07.20 10:23:38 +0530

Authenticated Document